न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.49/अपील/2024 (GCMS No. 2024/174)	07.10.2024	20.05.2025

जठूरलाल पुत्र (गोदपुत्र) बद्रीलाल जाति मेघवाल,
निवासी ग्राम देवपुरा, तहसील व जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. बादाम बाई पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल,
   निवासी सरस्वती का खेडा (टपरा) तहसील व जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 3144 दिनांक 24.09.2024 वाके ग्राम देवपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार बद्री पुत्र लाल्या जाति बलाई के फोत हो जाने पर उसकी वारिस पुत्री के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 49/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/174 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं. पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि अपीलांट को बद्रीलालजी ने बाल्यावस्था में गोद ले लिया था, इस बाबत दत्तकपुत्र विलेख भी निष्पादित हो रखा है। उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त है एवं इस संबंध में न्यायालयों में वाद व अपील विचाराधीन है। इस कारण अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जावे, जबकि रेस्पो. की ओर से जवाब दिनांक 07.01.25 को पेश किया जाकर आपत्ति प्रकट की गई कि अपीलांट को स्वर्गीय बद्रीलाल द्वारा गोद लिया जाना स्वीकार नहीं है। न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश क्रम सं.2 बून्दी द्वारा व्यवहार वाद सं. 46/2016 जठूरलाल बनाम बदामबाई के निर्णय दिनांक 29.08.24 में अपीलांट को गोदपुत्र नहीं माना है। इस प्रकार अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होने से प्रा.पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट जठूर मेघवाल के आधारकार्ड में पिता का नाम बद्रीलाल होना प्रकट है। अपील विषयक आराजी बाबत अपीलांट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र सं.227/2011 बउनवान जठूरलाल बनाम बादाम बाई वगै. एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम सं.2 बून्दी में दीवानी वाद संख्या 46/2016 दायर किया जाना प्रकट है। पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों से अपीलांट के वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध पक्षकार होना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। ऐसे में अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि ख.सं. 959 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख.सं. 959/1305 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.सं. 979 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, ख.सं. 979/1306 रकबा 5 बिस्वा, ख.सं. 979/1307 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, ख.सं. 1170 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देवपुरा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है, जो संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिसके संवत् 2059–62 में बद्री, छोटा व मंगली 1/3, 1/3 हिस्से पर सहखातेदार थे। खातेदार बद्री जी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से एवं एक पुत्री रेस्पो.सं. 1 बदाम बाई होने से उन्होंने अपने भाई छोटा और उसकी पत्नी से जाति रस्म के रिवाज अनुसार अपीलांट जठूरलाल को 5 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था। तब से ही अपीलांट, खातेदार बद्री के साथ दत्तक पुत्र के रूप में रहता चला आ रहा था। इस बाबत तहरीर भी लिखी गई थी, तब से आज तक अपीलांट बद्री जी का गोद पुत्र जाना व पहचाना जाता है, जिसको

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

ग्राम देवपुरा में सभी मोतबीर जानते है एवं आज भी अपीलांट जठूर बद्रीलाल के मकान में बतौर गोदपुत्र निवास कर रहा है एवं बद्री जी व उनकी पत्नी रामीबाई के मृत्यु संस्कार पुत्रवत अपीलांट ने सम्पादित किये है। इस कारण से अपीलांट के सभी आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों मे पिता के स्थान पर बद्रीलाल का नाम अंकित है। खातेदार बद्री ने अपने जीवनकाल में स्वयं के 1/3 हिस्से की कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 26.07.2006 को निष्पादित की थी। जिसमें उन्हौने गोद के तथ्य अंकित करवाये थे। पणिामस्वरूप अपीलांट खातेदार बद्रीजी के हिस्से पर बहैसियत मालिक व स्वामी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त बद्रीजी ने अपने जीवनकाल से अपने हिस्से की अन्य खातेदारी की 5 बीघा कृषि भूमि अपनी पुत्री रेस्पो.सं. 1 को दे दी थी एवं रेस्पो. सं. 1 का विवाह कर दिया था जो ससुराल में निवास कर रही थी। जिसके चलते बद्री जी की संपत्ति में से रेस्पो. सं. 1 बदनीयतीवश खातेदार बद्री जी की बीमार हालत में धोखे से छलकपटपूर्वक अनुचित प्रभाव व दबाव डालकर अपने पक्ष में वसीयतनामा दिनांकित 18.05.2011 निष्पादित करवा लिया जिसके 4 माह उपरान्त ही बद्री जी का बीमारी से दिनांक 27.09.2011 को देहान्त हो गया। दत्तक पिता बद्री जी मृत्यु के उपरान्त गोद माता रामी बाई अपीलांट के साथ रहती थी। गोदमाता रामीबाई ने पूर्व में गोद लेने की स्मृतिपत्र व दत्तकविलेख दिनांक 03.10.2012 निष्पादित किया, जिसमें अपीलांट जठूरलाल को बद्रीलाल व रामीबाई ने विधिवत रूप से गोद लिया जाना अंकित है। अवैध वसीयत दिनांकित 18.05.2011 के आधार पर रेस्पो.सं. 1 स्वयं को खातेदार बद्री की संपूर्ण कृषि भूमि की स्वामिनी बताती है और नामान्तरकरण खुलवा कर उक्त भूमियों को रहन–बेचान करने हेतु आमदा हो रही थी, इस कारण अपीलांट ने नवम्बर 2011 में उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पो.सं.1 को पक्षकार बनाते हुये पेश किया, जिसके साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, इस प्रकार उक्त वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नवम्बर 2011 से आज तक उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें रेस्पो.सं. 1 के द्वारा काउन्टर दावा पेश कर रखा है। जिसमें दोनों पक्षों के हक व अधिकारों का निर्णय होना है। इस दौरान रेस्पो.सं.1 अपने नाम अवैध रूप से निष्पादित वसीयत दिनांक 18.05.2011 के आधार पर बद्री जी के स्थान पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने पर आमदा हो रही थी एवं अपीलांट को तंग व परेशान कर रही थी, इस कारण अपीलांट ने रेस्पो.सं. 1 के नाम निष्पादित उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18.05.2011 को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने के लिए एक वाद संख्या 46/2016 बउनवान जठूरलाल बनाम बदामबाई सिविल न्यायालय बून्दी में पेश किया जो अन्तरित होकर अति.सिविल न्यायाधीश क्रम सं.2 बून्दी के यहां विचाराधीन रहा, जिसका

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय दिनांक 29.08.2024 को हुआ जिसमें वाद को खारिज किया गया। अति0 सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 2 बून्दी के निर्णय 29.08.2024 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील जिला एवं सेशन न्यायाधीश बून्दी के न्यायालय में पेश की गई, जहां से अन्तरित होकर उक्त अपील सं. 61/2024 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सं. 102/2024 बउनवान जठूरलाल बनाम बदामबाई अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 2 बून्दी के न्यायालय मे विचाराधीन चल रहे है। उक्त अपील के नोटिस तहसीलदार बून्दी को मिल चुके है जिसमें वे पक्षकार है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन वाद में भी तहसीलदार बून्दी पक्षकार है एवं इस बाबत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2024 को तहसीलदार बून्दी को पेश किया कि अपीलांट ने अपील पेश कर दी है जो विचाराधीन है, इस कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध मे नामान्तरकरण दर्ज नहीं करें। इसके बाद अपीलांट ने अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं.2 बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन अपील की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर तहसीलदार बून्दी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2024 को पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार बून्दी के कार्यालय में क्रमांक 80 दिनांक 10.09.2024 को रिसीव करके कॉपी अपीलांट को दी गई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी बून्दी में वाद एवं न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 2 बून्दी मे अपील व स्थगन विचाराधीन होते हुये एवं उक्त दोनों न्यायालय की कार्यवाहियों में तहसीलदार बून्दी पक्षकार होने से इस बारे में जानकारी तहसीलदार बून्दी को होते हुये भी एवं अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी तहसीलदार बून्दी ने रेस्पो.सं.1 ने मिलीभगत करके प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तकरण सं. 3144 दिनांक 24.09.2024 को खोल दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण बद्री आ. लाल्या जाति बलाई निवासी देवपुरा की भूमि खसरा सं. 1170, 959, 959/1305, 979, 979/1306 कुल किता 5 कुल रकबा 2.6069 है. एवं ख.सं. 2199/979 रकबा 1.3150 है. ग्राम देवपुरा में निहित 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध में विरासत नामान्तकरण खोला गया चूंकि खातेदार बद्री आ. लाल्या का देहान्त दिनांक 27.09.2011 को एवं बद्री की पत्नी रामीबाई का देहान्त 19.08.2014 को हो चुका था, फिर भी आज तक विगत 10 वर्षों से बद्री आ. लाल्या की उक्त भूमि मे निहित 1/3 हिस्से का नामान्तकरण विरासत के आधार पर दर्ज नहीं हुआ। उक्त भूमि के कब्जे काश्त बाबत भी जानकारी नहीं की गई एवं ग्राम देवपुरा के मोतबीर व्यक्तियों से न तो पूछताछ की गई, न ही पूर्णरूप से विधि अनुसार जांच की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जांच किये व बिना वारिसान की जांच किये, मिलीभगत करके न्यायालय की कार्यवाहियों की जानकारी होने के बावजूद कानूनी प्रावधानों के विपरीत मनमाने रूप से गलत तथ्य अंकित करके

जिला कलेक्टर, बून्दी

उक्त नामान्तरण खोल दिया। विरासत का नामान्तकरण खोलते समय न तो बद्रीजी के गोदपुत्र अपीलांट को सुना गया, न ही अपीलांट को इस बाबत कोई सूचना या नोटिस दिया गया बल्कि अपीलांट की जानकारी के बिना उक्त नामान्तकरण खोल दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट के द्वारा दिनांक 02.10.2024 को कम्प्यूटर से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई। इस कारण अपील अन्तर्गत अवधि पेश की गयी है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 120, आरआरडी 1989 पेज, 170, आरआरडी 1998 पेज 368, आरआरडी 1993 पेज 552 की नजीरे पेश करते हुये नामान्तरण सं. 3144 दिनांक 24.09.2024 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि खातेदार बद्रीलाल का देहान्त दिनांक 27.09.2011 को हो गया, उसकी पत्नी रामीबाई का भी देहान्त हो चुका है। बद्रीलाल के एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्री बदामबाई है, जिसके पक्ष में अंतिम वसीयतनामा दिनांक 18.05.2011 को पंजीकृत करवाया गया है। अपीलांट जठूरलाल द्वारा स्वयं को बद्रीलाल का गोदपुत्र प्रकट करते हुये खातेदारी अधिकार घोषणा का राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में प्रस्तुत किया गया, किन्तु गोदपुत्र की घोषणा का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस कारण गत 15 वर्षो से राजस्व वाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजस्व वाद बद्रीलाल की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें बद्रीलाल की पत्नी रामीबाई भी प्रतिवादी बनाई गई क्योंकि उसने जठूरलाल को गोदपुत्र होना स्वीकार नहीं किया। अपीलांट जठूरलाल ने स्वयं को बद्रीलाल का गोदपुत्र होना प्रकट करते हुये बदामबाई के पक्ष में बद्रीलाल द्वारा की गई वसीयत दिनांक 18.05.2011 निरस्त करने का वाद संख्या 46/2016 व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो दिनांक 29.08.2024 को खारीज कर दिया गया। इस वाद में अपीलांट ने पंजीकृत स्मरण पत्र गोद रामीबाई द्वारा निष्पादित प्रस्तुत किया, किन्तु न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय में गोदपुत्र नहीं माना और वसीयत दिनांक 18.05.2011 बहकपुत्री बदाम बाई खारीज नहीं की। अभी भी उक्त निर्णय प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बद्रीलाल की एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्री बदामबाई के पक्ष में दिनांक 24.09.2024 को नामान्तरकरण स्वीकार किया, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं कीं। अपील न्यायालय ने नामांतकरण स्वीकार करने के बाद दिनांक 05.10.2024 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया है। नामान्तरकण स्वीकार करने की तिथि को कोई स्थगन आदेश नहीं था, अपीलांट दौराने अपील नामान्तरकरण स्वीकार करने का तथ्य अपील न्यायालय एडीजे नं.2 बून्दी मे प्रस्तुत करके अपील में शीघ्र सुनवाई करवा सकता है तथा अन्तरिम आदेश को अपील के निर्णय तक जारी करने की प्रार्थना कर सकता है, इस बाबत अपील न्यायालय में ही अपीलांट का

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

कथन सुने जाने योग्य है। न्यायालय एडीजे नं. 2 बून्दी के अन्तरिम स्थगन आदेश को, जो नामान्तरकरण स्वीकार करने के बाद जारी हुआ है इसे वर्तमान अपील का निर्णयाधार नहीं बनाया जा सकता। व्यवहार न्यायालय ने अपीलांट को गोदपुत्र नहीं माना है, अब नामान्तरकरण की संक्षिप्त विचारण कार्यवाही में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने से व्यवहार न्यायालय के निर्णय के प्रति आक्षेप होगा। अपीलांट जठूरलाल को अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिए न्यायालय एडीजे नं. 2 बून्दी में लंबित अपील में शीघ्र सुनवाई करवाना चाहिऐ। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा 2014(3) डीएनजे (आरएजे.) पेज 134 की नजीर पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ है कि ग्राम देवपुरा में स्थित आराजी खाता संख्या 327 कुल किता 5 कुल रकबा 2.6069 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 770 किता 1 रकबा 1.3150 हैक्टेयर में निहित 1/3 हिस्से के सहखातेदार बद्री पुत्र लाल्या जाति बलाई थे। सहखातेदार बद्री के फोत हो जाने पर उसकी वारिस पुत्री बदामबाई के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3144 दिनांक 26.09.2024 तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है कि वह खातेदार बद्री का गोदपुत्र है, उसके पक्ष में गोद विलेख एवं वसीयत निष्पादित होने के बावजूद उसके पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जाकर रेस्पो.सं.1 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जो खारिज किया जावे। जबकि रेस्पो.सं.1 का तर्क रहा कि वह खातेदार बद्री की एकमात्र वारिस पुत्री होने से उसके पक्ष में तस्दीक किया गया विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उसको 5 वर्ष की आयु में बद्रीलाल व रामीबाई द्वारा गोद ले लिया जाना बताया है। साथ ही उसके पक्ष में खातेदार बद्री जी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 26.07.2006 निष्पादित किया जाना तथा बद्री के देहान्त के बाद दत्तकमाता रामीबाई द्वारा गोद लेने का स्मृतिपत्र व रजिस्टर्ड दत्तकपुत्र विलेख दिनांक 03.10.2012 निष्पादित किया हुआ होना अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किया गया है किन्तु अपीलांट की ओर से इस पत्रावली पर उक्त वसीयत, गोद स्मृति पत्र या दत्तकपुत्र विलेख संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां पेश नहीं की गई है। गोद की विधिक प्रकिया के संबंध में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वैसे भी राजस्व न्यायालय को गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं है, केवल सिविल न्यायालय ही गोदपुत्र घोषित कर सकता है। रेस्पो.सं.1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 18.05.2011 को अवैध व शून्य घोषित करवाये जाने हेतु अपीलांट की ओर से अति0 सिविल न्यायाधीश क्रम

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

संख्या–2 बून्दी के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 46/2016 बउनवान जठूरलाल बनाम बादाम बाई वगैरा पेश किया गया था, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 में वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया जाकर बिन्दू संख्या–18 पर ''वादी को गोद लिया जाना प्रकट नही होता है'' अंकित किया है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 3144 का प्रश्न है तो उक्त नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर मृतक खातेदार बद्रीलाल की विधिक वारिस पुत्री के पक्ष में तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी